

फर्द-अहकाम

(नियम 13)

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार, सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जस्टिस पटवारी  
हल्का पायला खुर्द


बनाम

श्री जंगी खां  
पुत्र श्री सुभाष जाति जोगड़ा कुंधार  
नि० पायला खुर्द

किस्म मुकदमा धारा 91 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 मु. नं. 01 वर्ष 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिली की
12-04-18	<p>पटवारी हल्का <u>पायला खुर्द</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने सवत <u>2075</u> में मौजा <u>पायला खुर्द</u> के खसरा नम्बर <u>271</u> खसरा <u>0-09 बीघा</u> जिस भूमि <u>श्री सुभाष</u> पर राजाधज अतिक्रमण कर काश्त व कच्चा किया है अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर रॉरसावल को तलय किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>23.4.18</u> का बमुकान <u>पायला खुर्द सिणधरी</u> पर पेश हो।</p>	
23.4.18	<p><u>नायब तहसीलदार सिणधरी</u> पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। अतिक्रमी को प्रेषित नोटिस की तामिली सूचना अर्जित है। अतः आजका पत्रावली दिनांक <u>25.05.18</u> के प्रस्तुत है।</p>	
25.5.18	<p><u>नायब तहसीलदार सिणधरी</u> पत्रावली पेश हुई। <u>श्री सायल</u> का नोटिस तामिल सूझा गप जो संलग्न पत्रावली दिया गया। <u>श्री सायल</u> उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया। निर्णय <u>खालवा</u> के लिखा जाकर शामिल पत्रावली दिया गया। निर्णय खुले <u>आयालय</u> सुनाया गया। पत्रावली फैलत भुम्मा मन्दा से कर लेकर दाखिल दर्ज हो।</p>	

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा पत्रिका सं. 4 के पृष्ठ सं. 3 पर क्र.सं. 1 या जुमाना/फसल विलामी समि रू. 521 की मांग दर्ज की गई।  
13/7/18  
तहसील राजस्व लेखाकार  
तहसील सिणधरी



तहसीलदार सिणधरी  
जिला बाड़मेर